कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / माध्य / मा–द / अंग्रेजी माध्यम / प्रवेश / 2019–20 दिनांक– 01-07-2019

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक
समस्त जिले।

विषयः– कक्षा वर्ग में निर्धारित विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होने पर अतिरिक्त प्रवेश हेतु।
प्रसंगः– समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक 28.06.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में शासकीय निर्देशानुरूप नवीन प्रवेश हेतु कक्षा 1 से 5 तक 30 तथा 6 से 8 में 35 सीटें प्रति कक्षा निर्धारित की गई थी। प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित सीटों के लिये आप द्वारा निर्धारित तिथि को प्रवेश (निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन पर लाटरी से) कार्य पूर्ण किया जा चुका होगा। कई विद्यालयों में कुछ कक्षाओं में निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने के कारण शासन के निर्देश दिनांक 28.06.19 की पालना में प्रांसगिक पत्र दि. 28.06.19 द्वारा प्रति कक्षा एक अतिरिक्त कक्षा वर्ग बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अर्थात कक्षा 1 से 5 तक सीटों की संख्या 60 एवं कक्षा 6 से 8 में सीटों की संख्या 70 हो गई है। कई महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कुछ कक्षा–वर्गों में निर्धारित सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए है।

निर्देशानुसार उपर्युक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि, जिन कक्षा–वर्गों में संशोधित सीटों से कम आवेदन प्राप्त हुए है उनमें दिनांक 04.07.2019 तक नवीन आवेदन लिये जा सकेगें तथा दिनांक 05.07.2019 को लाटरी निकाल कर प्रति कक्षा पुनर्निधारित सीटों की सीमा तक विद्यार्थियों का प्रवेश कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करावें।

(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1 शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2 समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3 समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
4 समस्त प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर